THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI (D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) to (c) The All India Institute of Medical Sciences has set up to develop patterns of undergraduate and postgraduate medical education and to bring together in one place educational facilities of highest order for the training of all types of health personnel and to attain self-sufficiency in postgraduate medical education. A hospital catering to common diseases as well as having specialities and super-specialities is essential for achieving above objectives. However, on account of the increasing pressure of patients for all kind of ailments, it is being felt that the specialist facilities of AIIMS are not being put to optimum use. In order to give AIIMS the character of a referral hospital and to provide specialised care for complex cases, the Government have decided to set up a screening OPD so that only screened cases go to the specialists/faculty of AIIMS. Besides upgrading the medical facilities in the Institute, the screening OPD would provide more time to the faculty and others for teaching and research activities.

परिवार कल्याण के क्षेत्र में अध्ययन

208. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार कल्याण क्षेत्र में सांख्यकीय और सामाजिक शोध संबंधी अध्ययन कराने के लिये वर्ष 1990–91 तथा 1991–92 के दौरान स्वैच्छिक अभिकरणों को बहुत बड़ी राशि दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रकार के अध्ययन करवाने का कार्य स्वैच्छिक अभिकरणों को सौंपने के लिये निर्धारित मार्ग-निर्देशों और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और उन्हें देयराशि के भुगतान का निर्धारण किस पद्धति से किया जाता है; और

(घ) प्रत्येक अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की मुख्य बातें क्या-क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ): (क) से (घ) 1990-91 और 1991-92 के वर्षों के दौरान लगभग 19.66 लाख रुपये की लागत वाले 2 तदर्थ अध्ययन परिवार कल्याण के क्षेत्र में अनुमोदित/शुरू किये गये। इसके अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण देश में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिये यू० एस० एड सहायता-प्राप्त परियोजना के एक भाग के रूप में मंजूर किया गया है। इस समस्त परियोजना की परिशोधित लागत 33 लाख अमरीकी डालर है। इस सर्वेक्षण में अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई और जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के अतिरिक्त चुनिंदा परामर्शी संगठन भी शामिल हैं। ये अध्ययन कार्य विशिष्ट समिति (समितियों) जो इस प्रयोजन के लिये नियुक्त की गई हो (हों), की सिफारिश के आधार पर अध्ययन, आधारभूत ढांचे और संगठनात्मक योग्यता के क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव के आधार पर अभिकरण/संगठनों को सौंपा जाता है। इन अभिकरणों को देय धनराशि भिन्न-भिन्न अध्ययनों के लिये भिन्न होती है, जो सेम्पल के आकार, प्रश्नावली के डिजाइन, सर्वेक्षण पद्धति, प्रत्यर्थियों के प्रकार, कवर किये जाने वाले क्षेत्र और अन्य संबंधित मापदंडों पर निर्भर करती है। अध्ययन का विस्तृत ब्यौरा और प्रमुख निष्कर्ष विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्रम सं०	अध्ययन का नाम	अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष
1.	देश में जीवन-रक्षक घोलों की मांग और आपूर्ति का मूल्यांकन (19.00 लाख रुपये)	1. जीवन रक्षक घोलों (ओ० आर० एस०) की वर्तमान मांग अनुमानतः 610 लाख पैकेट हैं, जिसमें से 70 प्रतिशत का इस्तेमाल 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए किया जाता है।
		2. जीवन रक्षक घोलों की वर्तमान आपूर्ति और उत्पादन क्षमता अनुमानतः क्रमशः 670 और 1010 लाख पैकेट हैं।
		3. जीवन रक्षक घोलों के उत्पादन में पाई गई मुख्य कठिनाइयां मांग, स्वाद/गंध और पैकेजिंग की कमी है।
		4. 61–62 प्रतिशत अतिसार के रोगी प्राइवेट चिकित्सकों, सेवाओं, 15–18 प्रतिशत सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जबकि 14–17 प्रतिशत ऐसे व्यक्ति पाए गए जिन्होंने घर पर ही अतिसार का इलाज किया।
		5. प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा केवल 14–18 प्रतिशत जीवन-रक्षक घोलों के नुस्खे लिखे जाते हैं जब कि सरकारी सुविधाओं में यह 22-23 प्रतिशत है, जो अत्यन्त कम है, विशेष कर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में, जहां पर बहुत अधिक कार्यकर्ताओं को जीवन-रक्षक घोलों के बारे में कोई जानकारी नहीं पाई गई, जिन्होंने जीवन-रक्षक घोलों की सिफारिश नहीं की।
		6. अतिसार रोग के दौरान जीवन-रक्षक घोलों की सिफारिशों और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता दो ऐसे मुख्य पहलू हैं, जो जीवन रक्षक घोल के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं। जीवन-रक्षक घोल की मात्र जानकारी होने से इसके इस्तेमाल पर कोई प्रभाव पड़ता प्रतीत नहीं होता—जब कि जानकारी के साथ-साथ इसका ज्ञान और प्रेरणा का जीवन रक्षक घोल के इस्तेमाल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
		7. यह पाया गया है कि जीवन रक्षक घोल की मुक्त अथवा लागत सहाय आपूर्ति का जीवन रक्षक घोल के इस्तेमाल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।
		8. इस अध्ययन में 1996 के लिए 860–1210 लाख पैकेटों की मांग होने का अनुमान लगाया गया है। 860 लाख पैकेटों का अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि वर्तमान मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब कि 1210 लाख पैकेटों की मांग इस धारणा पर आधारित है कि जीवन रक्षक घोल, घरों में उपलब्ध द्रव, जीवन रक्षक घोल की उपलब्धता और उसके नुस्खे की जानकारी में वृद्धि करने से संबंधित नीति में लगातार परिवर्तन होगा।
2.	तमिलनाडु के किशोर आयु के लड़कों और लड़कियों के संबंध में परिवार नियोजन के प्रति रवैया (0.66 लाख रुपये)	2. रिपोर्ट का मसौदा प्राप्त नहीं हुआ है।
3.	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए 33 लाख अमरीकी डालर की संशोधित कुल परियोजना लागत पर यू० एस०ए०) (सहायता प्राप्त परियोजना का एक घटक)	सर्वेक्षण चरणवार ढंग से किया जा रहा है। कुछ राज्यों में अभी फील्ड कार्य शुरू किया जा रहा है। जब कि प्रशिक्षण जैसी अन्य प्रारंभिक गतिविधियां जारी हैं।